फर्द अहकाम

सेडूराम व अन्य **बनाम** सोनाराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 182/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/12/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। तहसीलदार आमेर की ओर से प्रकरणाधीन भूमि के संदर्भ में वस्तुस्थिति रिपोर्ट / तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल। अधिवक्ता वादीगण की पुनः बहस अंतिम सुनी गई। उभय पक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों, साक्ष्य दस्तावेजात व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि ख.नं. 790/1963 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित है, का रकबा 1.15 है. अंकित रहा है. परन्तु हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. अंकित है। उक्त क्रम में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.04.2007, 27.11.2024 अनुसार भी तहसीलदार आमेर द्वारा वाद अधीन भूमि ख.नं. 790/1963 का रकबा माप, मौका व नक्शा बरारी अनुसार भी 1.15 है. होना तस्दीक किया गया है। इसके अतिरिक्त भी साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्श P-10 नामांतकरण सं. 93 स्वीकृत दिनांक 16.12.88 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा भूमि के खातेदार से भूमि ख.नं. 790/1963 का रकबा 1.15 है. के रूप में सम्पूर्ण रूप से क्रय किया गया है तथा उक्त खसरा नं. 790/1963 के सम्पूर्ण रकबा 1.15 है. के रूप में प्रतिवादीगण [illegible] किया गया है जिसके क्रम में [illegible] है. के रूप में भूमि का [illegible] / उपयुक्त प्रमाणिक आधार प्रदर्श नहीं किया गया है तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श P-6 विक्रय पत्र दिनांक 27.10.88	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सेडूराम व अन्य बनाम / सोनाराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 182/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/12/24	प्रदर्श P.7 विक्रय पत्र दिनांक 31.03.89 प्रदर्श P-9 विक्रय पत्र दिनांक 23.03.89 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा भूमि के तत्कालीन खातेदारान से भूमि ख.नं. 966 को रकबा 0.81 है. ख.नं. 970 को रकबा 0.86 है., ख.नं. 956 को रकबा 0.44 है., ख.नं. 957 को रकबा 0.35 है., ख.नं. 981 के रकबा 0.29 है., ख.नं. 959 को रकबा 0.54 है. ख.नं. 958 को रकबा 0.41 है. के रूप में विधिवत क्रय किया गया है तथा इसी अनुसार नामांतकरण तस्दीक किये गये हैं एवं नामांतकरण प्रविष्टी (P-10, P-11, P-12) अनुसार बेचान के पूर्व से भूमियों का रकबा इसी अनुसार निरन्तर दर्ज अंकित रहा है परन्तु उक्त क्रम में हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमियों का रकबा कमी अनुसार अंकित है। जिसका कोई अधिकृत प्रमाणिक आधार प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि वादीगण की भूमियों (विक्रय रकबे) में आंशिक कमी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया है तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण [illegible] ख.नं. 790/1963 रकबा 1.15 है. [illegible] पर 2.00 है. के [illegible] अंकित की गई है [illegible] द्वारा वादीगण से [illegible] भूमि के अतिरिक्त शेष 0.85 है. की अधिक अंकित भूमि के संदर्भ में कोई प्रमाणिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः तथ्यों के समग्र विवेचन तथा साक्ष्य दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर वाद	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सेडूराम व अन्य बनाम / सोनाराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 182/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/12/24	वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 790/1963 की खातेदारिता की भूमि ख.नं. की सीमा का रकबा मौका तथा मानचित्र की सीमा अनुसार 1.15 है. घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती/इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा वादीगण की खातेदारिता की भूमि ख.नं. 956 ता 959, 966, 970, 981 की भूमियों के रकबे में तदनुसार अपेक्षित संशोधन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारिता की भूमि में वादीगण के उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित ना करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर
वाद संख्या : 182/2013
निर्णय दिनांक : 18.12.2024

1. सेडूराम
2. मालीराम
3. हरिनारायण
4. श्रवण कुमार
5. बाबूलाल

पुत्रान श्री मूलचंद

6. रामेश्वर पुत्रान नारायण (मृतक दौराने दावा)
   6/1 गोविन्द देवी पत्नी स्व०श्री रामेश्वर
   6/2 कमलेश पुत्र स्व०श्री रामेश्वर
   6/3 हरिशंकर पुत्र स्व.श्री रामेश्वर
   निवासीयान ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर राज०
   6/4 प्रेम पुत्री स्व०श्री रामेश्वर
   6/5 सुशीला पुत्री स्व०श्री रामेश्वर
7. झुंथाराम पुत्र श्री नारायण
8. रामनाथ पुत्र श्री प्रभातीलाल
9. छीतर मल पुत्र श्री प्रभातीलाल (मृतक दौराने दावा)
   9/1 मुकेश पुत्र स्व०श्री छीतर मल
   9/2 नन्दकिशोर पुत्र स्व०श्री छीतरमल
   9/3 श्रीमती धापा बेवा छीतर मल
   9/4 राजकुमारी उर्फ राजू पुत्री स्व०श्री छीतर मल पत्नी श्री श्रवण जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम बगवाडा तहसील आमेर, जिला जयपुर राज०

.........वादीगण

बनाम

1. सोनाराम उर्फ सोहन पुत्र भूरा (मृतक दौराने वाद)
   1/1 कल्याण सहाय पुत्र सोनाराम उर्फ सोहन
   1/2 केशाराम पुत्र सोनाराम उर्फ सोहन
   1/3 नानूलाल पुत्र सोनाराम उर्फ सोहन
2. प्रभात उर्फ प्रभू पुत्र भूरा (मृतक दौराने वाद)
   2/1 श्रीमती सन्ने देवी पत्नी प्रभात
   2/2 छीतर
   2/3 रामपाल उर्फ सूरज
   2/4 लक्ष्मीनारायण
   2/5 नन्दकिशोर
   2/6 रमेश
   पुत्रान स्व०श्री प्रभात निवासी ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
   2/7 श्रीमती नारायणी पत्नी बाबूलाल पुत्री प्रभात जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
   2/8 श्रीमती शांति पत्नी किशोर कुमार पुत्र प्रभात जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीकमपुरा भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज.
3. नारायण पुत्र भूरा
4. हनुमान पुत्र मूलचन्द समस्त जाति [illegible] बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर राज०
5. सरकार द्वारा तहसीलदार जी आमेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल ख.नं. 790/1963 के रकबे 2.00 है. जो कि वादीगण के मुताबिक, वादीगण के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मुख्यालय-जयपुर

नाम दर्ज अंकित विभिन्न खसरा नंबरो खं. नं 956, 957, 958, 959, 966, 970, 981 में से क्रमशः 0.04 है., 0.05 है., 0.10 है., 0.04 है., 0.07 है., 0.46 है., 0.09 है. कुल रकबा 0.85 है. की कमी करते हुए तथा वास्तविक मौका स्थिति व मौका नक्शा के विपरीत प्रतिवादीगण की भूमि ख.नं. 790/1963 के वास्तविक रकबे 1.15 है. को बिना किसी आधार व क्षेत्राधिकार के 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. के रूप में बढाकर प्रदर्शित करते हए वादीगण की उपरोक्त वर्णित खसरो की भूमियों का मौके पर वास्तविक रकबे 3.85 है. के स्थान पर 3.00 है. के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है को दुरूस्त कराते हुए वास्तविक मौका स्थिति तथा वास्तविक मौका नक्शा अनुसार 2.00 है. के स्थान पर 1.15 है. के रूप में दुरूस्त घोषित/अंकित किए जाने तथा शेष बचे रकबे 0.85 है. को वादीगण की खातेदारिता की उपरोक्त वर्णित विभिन्न भूमियों हाल ख.नं. 956, 957, 958, 959, 966, 970, 981 के हाल अंकित रकबो में क्रमशः 0.04 है., 0.05 है., 0.10 है., 0.04 है., 0.07 है., 0.46 है., 0.09 है. के रूप में शामिल करते हुए दुरूस्त वांछित/अंकित कराये जाने के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि ग्राम बगवाडा तहसील आमेर में बंदोबस्त संवत 2015 में भूमि ख.नं. 213 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 214 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खं.नं. 215 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खं.नं. 260 रकबा 16 बिस्वा कुल 8 बीघा 7 बिस्वा तथा भूमि ख.नं. 183 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 211 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 212 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा एवं ख.नं. 220 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित रही है। उपरोक्त क्षेत्र का संवत 2020 में एकीकरण होने पर उक्त भूमि ख.नं. 213, 214, 215 एवं 260 का एक ही चक बनाकर भूमि खं.नं. 289 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा तथा भूमि ख.नं. 183 मिन, 211 एवं 212 का एक चक बनाकर नवीन ख.नं. 229 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा अंकित किया जाकर भूमि खं.न. 289 की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल महाजन के नाम तथा 229 की खातेदारी ग्यारसीलाल पुत्र सुखजी महाजन के नाम दर्ज की गई तथा भूमि ख.नं. 294 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी ग्यारसीलाल के नाम ख.नं. 221 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा से अंकित की गई। वर्तमान बंदोबस्त होने पर ख.नं. 294 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा के ख.नं. 966 रकबा 0.74 है. भूमि, ख.नं. 289 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा के नवीन ख.नं. 956 रकबा 0.40 है., ख.नं. 957 रकबा 0.30 है.,ख.नं. 958 रकबा 0.31 है., ख.नं. 959 रकबा 0.50 है., ख.नं. 970 रकबा 0.40 है., ख.नं. 981 रकबा 0.20 है. कुल रकबा 2.11 है. तथा खं. नं. 229 के वर्तमान बंदोबस्त में नवीन ख.नं. 790/1963 रकबा 2.00 है. मिलान क्षेत्रफल में गलत अंकित किए गए है जबकि ख.नं. 790/1963 का रकबा 1.15 है. ही है। बंदोबस्त के समय उपरोक्त खसरा नंबरो का जो रकबा दर्शाया गया था उसके अनुसार वादीगण की भूमि ख.नं. 956 रकबा 0.44 है., ख.नं. 957 रकबा 0.35 है.,ख.नं. 958 रकबा 0.41 है., ख.नं. 959 रकबा 0.54 है., ख.नं. 970 रकबा 0.96 है., ख.नं. 981 रकबा 0.29 है. का कुल रकबा 2.80 है. अंकित किया गया था तथा ख.नं. 790/1963 का रकबा 1.15 है. अंकित किया गया था जबकि मिलान क्षेत्रफल में (ख.नं. 289 से बने खसरा नम्बरो का) कुल रकबा 2.11 है. ही अंकित किया गया है अर्थात मिलान क्षेत्रफल अनुसार 0.69 है. रकबा कम अंकित किया गया है तथा भूमि ख.नं. 229 का मिलान क्षेत्रफल में अंकित किया गया रकबा बन्दोबस्त में अंकित किए गए रकबे से 0.70 है. से भी ज्यादा अंकित किया गया है। वास्तविक मौका तथा वर्तमान मानचित्र के अनुसार भी भूमि हाल ख.नं. 790/1963 का रकबा 1.15 है. है जबकि मिलान क्षेत्रफल में ख.नं. 790/1963 का रकबा 2.00 है. गलत अंकित किया गया है। तथा ख.नं. 956 रकबा 0.44 है. तथा ख.नं. 957 रकबा 0.35 है. का रकबा भी इसमें शामिल कर दिया गया है जबकि ख.नं. 956 तथा 957 पर वादीगण काबिज है तथा प्रतिवादीगण का इससे कोई संबंध नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि ख.नं. 790/1963 का रकबा मौके तथा मानचित्र के विपरीत 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. प्रदर्शित करते हुए वादीगण की खातेदारिता की विभिन्न भूमियों ख. नं. 956, 957, 958, 959, 966, 970, 981 में से क्रमशः 0.04 है., 0.05 है., 0.10 है., 0.04 है., 0.07 है. 0.46 है, 0.09 है. रकबा कुल 0.85 है. की कमी करते हुए प्रतिवादीगण की भूमि खं.नं. 790/1963 रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. के रूप में बढाकर प्रदर्शित कर दिया तथा वादीगण की भूमि का मौके पर 3.85 है. के स्थान पर 3.00 है. बिना किसी आधार [illegible] जबकि वादीगण की भूमि का मौके व मानचित्र अनुसार 3.85 है. ही है तथा वे अपने पूर्व रक[illegible] है तथा प्रतिवादीगण 1.15 है. पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से अपने [illegible] कि ख.नं. 790/1963 रकबा 1.15 है. भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र से [illegible] आदि से क्रय किया गया था। जिसका नामांतकरण सं 93 वादीगण के नाम स्वीकार किया गया तथा क्रयशुदा भूमि में खं.नं. 790/1963 रकबा 1.15 है. ही वादीगण द्वारा 2 विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादीगण को विक्रय कर दिया गया था चूंकि वादीगण ने प्रतिवादीगण को 1.15 है. भूमि का ही विक्रय किया था तथा 1.15 है. भूमि पर ही कब्जा दिया था। अतः भू–प्रबंध विभाग द्वारा ख.नं. 790/1963 रकबा 2.00 है. अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर तथा मानचित्र के अनुसार भी भूमि ख.नं. 790/1963 का रकबा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

विक्रय पत्र के अनुसार 1.15 है. ही है किन्तु मिलान क्षेत्रफल में भी गलत रकबा दर्ज कर दिया गया। वादीगण को उक्त गलत ईन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हे विक्रित रकबे 1.15 है. अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु कहा गया तो उन्होने उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु इंकार कर दिया गया तथा अंकित अधिक भूमि पर कब्जा करने व बेचान की धमकी दी गई जिससे वादीगण को वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिससे यदि प्रतिवादीगण की भूमि ख.नं. 790 / 1963 रकबा 1.15 है. के स्थान पर गलत अंकित 2.00 है. के आधार पर प्रतिवादीगण दीगर व्यक्तियो को भूमि विक्रय कर देगे तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इसी कारण से वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार / डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी आ.ख.नं. 790 / 1963 का रकबा मौके तथा मानचित्र की सीमा अनुसार 1.15 है. घोषित किया जावे तथा वादीगण की खाते की भूमि का रकबा भी मौके व मानचित्र की सीमा अनुसार दुरूस्त किया जाने व उक्तानुसार मिलान क्षेत्रफल में भी रकबा दुरूस्ती का आदेश पारित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण द्वारा उन्हें विक्रय की गई 1.15 है. से अधिक भूमि पर कब्जा व भूमि का विक्रय, हस्तांतरण आदि ना करे।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के संदर्भ / समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए हैः—

1. प्रदर्श पी 1:— जमाबंदी भूमि एकीकरण विभाग संवत 2020। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 289 का रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा होना तथा खातेदारिता रामचन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल कौम महाजन के नाम दर्ज अंकित होना प्रदर्शित है।
2. प्रदर्श पी 1:— जमाबंदी भूमि एकीकरण विभाग संवत 2020। जिसके अनुसार खाता सं 15 की भूमि ख.नं. 229 का रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा होना तथा खातेदारिता ग्यारसीलाल पुत्र सुखजी कौम महाजन के नाम दर्ज अंकित होना प्रदर्शित है।
3. प्रदर्श पी 2:— मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण। जिसके अनुसार भूमि ख.नं 294 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा के साबिक ख.नं. 221 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा होना प्रदर्शित है।
4. प्रदर्श पी 3:— मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं 289 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा के गत खसरा नं 213 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं 214 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 215 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 260 रकबा 16 बिस्वा होना प्रमाणित है।
5. प्रदर्श पी 4:— मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं 229 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा के गत खसरा नं 183 मिन रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं 211 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 212 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा होना प्रमाणित है।
6. प्रदर्श पी 5:— नक्शा किस्तवार।
7. प्रदर्श पी 6:— असल प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.10.1988। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं 966 रकबा 0.81 है. व खसरा नं 970 रकबा 0.86 है. कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 1.67 है. का तत्कालीन खातेदार सरस्वती देवी पत्नी रामचन्द्र व चतुर्भज पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा संपूर्ण खसरा भूमि का बेचान वादीगण सं 1 ता 5 को किया गया है तथा बाद बेचान विक्रेतागण के हिस्से में उक्त खसरा नं में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है।
8. प्रदर्श पी 7:— असल प्रति विक्रय पत्र दिनांक 31.03.1989। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं 956 रकबा 0.44 है. व खसरा नं 957 रकबा 0.35 है. व खसरा नं 981 रकबा 0.29 है. कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.08 है. का तत्कालीन खातेदार विष्णुकुमार पुत्र हनुमान सहाय द्वारा भूमि का बेचान वादीगण सं 1 ता 5 को किया गया है तथा बाद बेचान विक्रेता के हिस्से में उक्त खसरा नं में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है।
9. प्रदर्श पी 8:— असल प्रति विक्रय पत्र दिनांक [illegible] जिसके अनुसार [illegible] खसरा नं 790 / 1963 रकबा 1.15 है. के 3 / 8 हिस्से का बेचान वा[illegible] 5 द्वारा क्रेतागण भूरा पुत्र भरता, नारायण पुत्र भूरा [illegible] तथा बाद बेचान विक्रेतागण के हिस्से में उक्त खसरा नं 790 / 196[illegible] कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है।
10. प्रदर्श पी 9:— असल प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1989। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं 959 रकबा 0.54 है. व खसरा नं 958 रकबा 0.41 है. कुल ख[illegible] किता 2 कुल रकबा 0.95 है. का तत्कालीन खातेदार हनुमान सहाय पुत्र भूरामल द्वारा क्रेतागण रामेश्वर पुत्र नारायण, भूराराम पुत्र नारायण, रामनाथ पुत्र प्रभात व छितर पुत्र प्रभात को किया गया है तथा बाद बेचान विक्रेता के हिस्से में उक्त खसरा नं में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है।
11. प्रदर्श पी 10:— नामांतकरण सं 93 स्वीकृत दिनांक 16.12.1988। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि खसरा नं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

790 / 1963 का रकबा 1.15 है. प्रदर्शित है जो उक्त नामांतकरण द्वारा विक्रेता सरस्वती देवी पत्नी रामचन्द्र व चतुर्भज पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर क्रेतागण मालीराम, सेढूराम, श्रवणलाल, हरिनारायण, बाबूलाल पिता मूलचन्द, मूलचन्द पुत्र चंदा, नारायण, प्रभात पिता गणेश जाति बागडा ब्राह्मण के नाम स्वीकृत किया गया है।

12. प्रदर्श पी 11:– नामांतकरण सं 92 स्वीकृत दिनांक 16.12.1988। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि खसरा नं 956 रकबा 0.44 है., 957 रकबा 0.35 है., 981 रकबा 0.29 है. कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.08 है. प्रदर्शित है। जो उक्त नामांतकरण द्वारा विक्रेता सरस्वती देवी पत्नी रामचन्द्र व चतुर्भज पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर क्रेतागण विष्णु कुमार पुत्र हनुमान सहाय के नाम स्वीकृत किया गया है तथा बाद बेचान विक्रेता के हिस्से में खसरा नं 958 रकबा 0.41 है., खसरा नं 959 रकबा 0.54 है., खसरा नं 790 / 1963 रकबा 1.15 है. व खसरा नं 851 रकबा 0.15 है. भूमि शेष रही है।

13. प्रदर्श पी 12:– नामांतकरण सं 115 स्वीकृत दिनांक 04.04.1989। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि खसरा नं 956 रकबा 0.44 है., 957 रकबा 0.35 है., 981 रकबा 0.29 है. कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.08 है. प्रदर्शित है। उक्त नामांतकरण द्वारा विक्रेता विष्णु कुमार पुत्र हनुमान सहाय के स्थान पर क्रेतागण मालीराम, सेढूराम, हरिनारायण, श्रवण कुमार, बाबूलाल पिता मूलचन्द जाति बागडा ब्राह्मण के नाम स्वीकृत किया गया है तथा बाद बेचान विक्रेता के हिस्से में अन्य कोई भूमि शेष नहीं रही है।

14. प्रदर्श पी 13:– तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.04.2007 जिसके अनुसार उल्लेखित वादग्रस्त भूमि खसरा नं 790 / 1963 का मौके पर वास्तविक रकबा 1.15 है. तथा नक्शानुसार भी रकबा 1.15 है. होना तस्दीक किया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रकबा 2.00 है. होना प्रदर्शित किया गया है। उक्त खसरा नं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित है जो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण सं 1 ता 5 से क्रय की गई है व्यक्त किया गया है।

15. प्रदर्श पी 14:– नकल नक्शा ट्रेस।

16. प्रमाणित प्रति:– नामांतकरण सं 130 स्वीकृत दिनांक 03.01.1991। जिसके अनुसार वाद अधीन भूमि ख. नं. 790 / 1963 का रकबा 1.15 है. होना प्रदर्शित है। जिसका विक्रय वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को किया गया है (परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में भूमि ख.नं. 790 / 1963 का रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. अंकित है जो कि वाद का आधार है)।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि ख.नं. 229 के वर्तमान बंदोबस्त में नवीन ख.नं. 790 / 1963 रकबा 2.00 है. का बिस्वा 167 होता है जो कि 7 बीघा 18 बिस्वा है। वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गलत रकबा किस प्रकार से अंकित किया गया है तथा वादीगण द्वारा गलत कथन अंकित किए गए है जबकि मिलान क्षेत्रफल में पूर्व व हाल ख.नं. का रकबा सही अंकित किया गया है। खसरा नं. 790 / 1963 का कुल रकबा रिकॉर्ड खातेदारी में 2.00 है. अंकित है एवं उसी अनुरूप प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। वादीगण द्वारा ख.नं. 956 व ख.नं. 957 को ख.नं. 790 / 1963 में शामिल किया जाकर रकबा बढाए जाने का कथन असत्य अंकित किया गया है जबकि ख.नं. 956 व 957 ख.नं. 790 / 1963 के भाग नहीं थे। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि हाल में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित ख.नं. 790 / 1963 को वादीगण द्वारा तत्कालीन खातेदार मु.सरस्वती देवी संपूर्ण खसरा नं. के रूप में क्रय किया गया था जिसे स्वयं वादीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादीगण को संपूर्ण खसरा नम्बर के रूप में विक्रय किया गया है तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज के अनुसार रकबा सही दर्ज किया गया है तथा पूर्व इन्द्राज में रददो बदल करने के अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं है। वादीगण द्वारा ख.नं. 790 / 1963 का संपूर्ण खसरा विक्रय किया [illegible] करने से विबन्धित है। जबकि वादीगण द्वारा ख.नं. 790 / 1963 का संपूर्ण हस्तांतरण [illegible] प्रतिवादीगण को किए जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण पूर्व नक्शे व पूर्व रिकार्ड के [illegible] आ रहे है जिससे वादीगण को कोई वादकारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है तथा ख.नं. 790 / 19[illegible] ख.नं. 956, 957 कभी कोई भाग नहीं रहा है। वादीगण का आधार [illegible] के अनुसार [illegible]कार घोषणा का है जबकि खं.नं. 790 / 1963 पूर्व जमाबंदी अनुसार हाल रिकार्ड व मिन प्रतिवादीगण के कब्जे में चला आ रहा है जिससे वादीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के संदर्भ में निम्न दस्तावेज पेश किए गए है:–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1. ऑनलाईन प्रति जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता सं 214, 595, 503, 603, 433, 596, 602 प्रस्तुत की गई है।
2. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश की गई है। जिनके अनुसार वादीगण के नाम अंकित वाद अधीन भूमि ख.नं. 956 रकबा 0.40 है., 957 रकबा 0.30 है., 958 रकबा 0.31 है., 959 रकबा 0.50 है., 970 रकबा 0.40 है., 981 रकबा 0.20 है. के साबिक ख.नं. 289 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा होना तथा भूमि हाल ख.नं. 966 रकबा 0.74 है. के साबिक ख.नं. 294 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा होना, तथा प्रतिवादीगण के नाम अंकित भूमि ख.नं. 970/1963 रकबा 2 है. के साबिक खसरा नं. 229 होना प्रदर्शित है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया मिलान क्षैत्रफल में भूमि खसरा नं. 790/1963 का रकबा वास्तविकता अनसार 1.15 है. के विपरीत 2.00 है. गलत दर्ज किया गया है, जबकि वास्तव में खसरा नं. 790/1963 का रकबा 1. 15 है. ही है। जिसकी घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है।

–वादीगण

2. आया वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान वादीगण की विभिन्न भूमियों के रकबों के कुल योग 3.85 है. में प्रत्येक खसरों में आंशिक कमी के रूप में कुल 0.85 है. की कमी करते हुए उक्त कम किये गये कुल रकबे 0.85 है. को प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं. 790/1963 रकबे 1.15 है. में बढोतरी करते हुऐ प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. अंकित कर दिया गया है। जिसे वास्तविक मौका व मानचित्र अनुसार दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है।

–वादीगण

3. आया वादी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से में अधिक अंकित की गई 0.85 है. भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

4. आया वादीगण द्वारा भूमि खसरा नं. 790/1963 के गत खातेदार से खसरा नं. 790/1963 का सम्पूर्ण रकबा क्रय किया गया था, जो 1.15 है. था तथा कयशुदा रकबा 1.15 है. ही प्रतिवादीगण को बेचान किया गया था।

–वादीगण

5. आया भूमि खसरा नं. 790/1963 का साबिक खसरा नं. 279 था। जिसका रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा था। जो बिस्वा में गणना अनुसार 167 बिस्वा होता है। जो कि हैक्टेयर गणना अनुसार 2.00 है. होता है। जिससे वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है।

–प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। जिससे वादकारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज योग्य है।

–प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र PW1 श्रवण कुमार पुत्र मूलचन्द, PW3 मोहन लाल पुत्र सेढूराम, PW4 मालीराम पुत्र मूलचन्द, PW5 छीतर पुत्र नानूराम के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य शपथ पेश नहीं किए जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण के निरन्तर अवसरो पर भी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 08.08.2024 को पारित किया गया तथा उक्त अनुसरण में अधिवक्ता वादीगण की बहस अंतिम सुनी गई तथा तहसीलदार आमेर से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके क्रम में प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है:–

1. तनकी सं 1:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि आया मिलान क्षैत्रफल में भूमि खसरा नं. 790/1963 का रकबा वास्तविकता अनसार 1.15 है. के विपरीत 2.00 है. गलत दर्ज किया गया है, जबकि वास्तव में खसरा नं. 790/1963 का रकबा 1.15 है. ही है। जिसकी घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली में साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 8 विकय पत्र दिनांक 22.05.90 प्रदर्श पी. 10 नामान्तरण संख्या 93 स्वीकृत दिनांक 16.12.88, प्रदर्श पी. 11 नामान्तरण संख्या 92 स्वीकृत दिनांक 16.12.84, नामान्तरण संख्या 130 स्वीकृत दिनांक 13.01.91 के तुलनात्मक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

समग्र विवेचन से यह प्रदर्शित होता है कि भूमि ख. नं. 790 / 1963 का रकबा 1.15 है. अंकित रहा है परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. अंकित है। उक्त कम में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.04.2007, 27.11.2024 अनुसार भी तहसीलदार आमेर द्वारा वाद अधीन भूमि ख. नं. 790 / 1963 का रकबा माप, मौका व नक्शा बरारी अनुसार भी 1.15 है. होना तस्दीक किया गया है। इसके अतिरिक्त भी साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्श पी 10 नामान्तरण संख्या 93 स्वीकृत दिनांक 16.12.88 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा भूमि के खातेदार से भूमि ख. नं. 790 / 1963 को रकबा 1.15 है. के रूप में सम्पूर्ण रूप से कय किया गया है तथा उक्त ख. नं. 790 / 1963 को सम्पूर्ण ख. रकबा 1.15 है. के रूप में प्रतिवादीगण को विकय किया गया है। जिसके कम में प्रतिवादीगण के नाम 2.00 है. के रूप में भूमि के इन्द्राज का कोई अधिकृत / उपयुक्त प्रमाणिक आधार प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

2. तनकी संख्या 2:–इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान वादीगण की विभिन्न भूमियों के रकबों के कुल योग 3.85 है. में प्रत्येक खसरों में आंशिक कमी के रूप में कुल 0.85 है. की कमी करते हुए उक्त कम किये गये कुल रकबे 0.85 है. को प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं. 790 / 1963 रकबे 1.15 है. में बढोतरी करते हुऐ प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. अंकित कर दिया गया है। जिसे वास्तविक मौका व मानचित्र अनुसार दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली में साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 6 विकय पत्र दिनांक 27.10.88, प्रदर्श पी 7 विकय पत्र दिनांक 31.03.89, प्रदर्श पी 9 विकय पत्र दिनांक 23.03.89 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा भूमि के तत्कालीन खातेदारान से भूमि ख. नं. 966 को रकबा 0.81 है., ख.नं. 970 को रकबा 0.86 है. ख. नं. 956 को रकबा 0.44 है. ख. नं. 957 को रकबा 0.35 है. ख. नं. 981 को रकबा 0.29 है. ख. नं. 959 को रकबा 0.54 है. ख. नं. 958 को रकबा 0.41 है. के रूप में विधिवत कय किया गया है तथा इसी अनुसार नामान्तरण तस्दीक किये गये है एवं नामान्तरण प्रविष्टि (पी 10, पी 11, पी 12) अनुसार बेचान के पूर्व से भूमियों का रकबा इसी अनुसार निरन्तर दर्ज अंकित रहा है। परन्तु उक्त कम में हाल राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमियों का रकबा कमी अनुसार अंकित है। जिसका कोई अधिकृत प्रमाणिक आधार प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्व होता है कि वादीगण की विभिन्न भूमियों (खसरों) में आंशिक कमी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण से कय की गई भूमि ख. नं. 790 / 1963 रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. के रूप में बढोतरी अनुसार अंकित की गई है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से 1.15 है. कय की गई भूमि के अतिरिक्त शेष 0.85 है. की अधिक अंकित भूमि के संदर्भ में कोई प्रमाणिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

3. तनकी संख्या 3:–इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से में अधिक अंकित की गई 0.85 है. भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। उक्त परिपेक्ष्य में वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 6 विकय पत्र दिनांक 27.10.88, साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 7 विकय पत्र दिनांक 31.03.89, साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 9 विकय पत्र दिनांक 28.03.89, साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 10 नामान्तरण संख्या 93 के पारस्परिक तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा उक्तानुसार विभिन्न पंजीकृत पत्रों के आधार पर कुल 4.85 है. भूमि का कय तत्कालीन खातेदार से विधिवत किया गया है जिसके कम में वादीगण द्वारा 1.15 है. भूमि का विकय जरिये पंजीकृत विकय पत्र के प्रतिवादीगण को किया गया है। जिसके उपरान्त वादीगण के पास कुल 3.70 है. भूमि शेष रही है जबकि रिकार्ड अनुसार वादीगण की भूमि में कमी प्रदर्शित है। तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मात्र 1.15 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

भूमि विकय की गई है परन्तु प्रतिवादीगण के नाम 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. भूमि अंकित की गई है। जिससे वादीगण की उक्त संदर्भ में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये जाने की अधिकारिता की पुष्टि होती है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

4. तनकी संख्या 4:–इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादीगण द्वारा भूमि खसरा नं. 790/1963 के गत खातेदार से खसरा नं. 790/1963 का सम्पूर्ण रकबा क्रय किया गया था, जो 1.15 है. था तथा कयशुदा रकबा 1.15 है. ही प्रतिवादीगण को बेचान किया गया था। उक्त परिपेक्ष्य में वादीगण के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 10 नामान्तरण सं. 93 दिनांक 16.12.88 के अवलोकन से सिद्व होता है कि वादीगण द्वारा भूमि ख. नं. 790/1963 के सम्पूर्ण रकबा 1.15 है. को जरिये विकय पत्र के तत्कालीन खातेदारान मु. सरस्वती बेवा रामचन्द्र व चतुर्भुज पुत्र लक्ष्मीनारायण से कय किया गया था तथा नामान्तरण सं. 130 अनुसार 1.15 है. भूमि ही प्रतिवादीगण को विकय की गई प्रदर्शित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

5. तनकी संख्या 5:–इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि भूमि खसरा नं. 790/1963 का साबिक खसरा नं. 279 था। जिसका रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा था। जो बिस्वा में गणना अनुसार 167 बिस्वा होता है। जो कि हैक्टेयर गणना अनुसार 2.00 है. होता है। जिससे वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र के 1.15 है. भूमि को प्रतिवादीगण को विकय किया गया था जिसके कम में नामान्तरण भी उक्तानुसार तस्दीक किया गया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम कयशुदा भूमि 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. भूमि अंकित किये जाने का कोई ठोस प्रमाणिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही उक्त संदर्भ में कोई अभिकथन प्रस्तुत किये गये है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. तनकी संख्या 6:–इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। जिससे वादकारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज योग्य है। जिससे वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादीगण के विभिन्न खसरो की भूमियों में आंशिक कटौती की जाकर भूमि प्रतिवादीगण के भूमि में बढोतरी अनुसार अधिक अंकित की गई है जो कि स्वतः ही एक सक्षम वाद कारण है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

7. अनुतोष ?

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) क्रमांक
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों, साक्ष्य दस्तावेजात व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि ख. नं. 790/1963 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित है, का रकबा 1.15 है. अंकित रहा है परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. अंकित है। उक्त कम में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.04.2007, 27.11.2024 अनुसार भी तहसीलदार आमेर द्वारा वाद अधीन भूमि ख. नं. 790/1963 का रकबा माप, मौका व नक्शा बरारी अनुसार भी 1.15 है. होना तस्दीक किया गया है। इसके अतिरिक्त भी साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्श पी 10 नामान्तरण संख्या 93 स्वीकृत दिनांक 16.12.88 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा भूमि के खातेदार से भूमि ख. नं. 790/1963 को रकबा 1.15 है. के रूप में सम्पूर्ण रूप से कय किया गया है तथा उक्त ख. नं. 790/1963 को सम्पूर्ण ख. रकबा 1.15 है. के रूप में प्रतिवादीगण को विकय किया गया है। जिसके कम में प्रतिवादीगण के नाम 2.00 है. के रूप में भूमि के इन्द्राज का कोई अधिकृत/उपयुक्त प्रमाणिक आधार प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा पत्रावली में साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 6 विकय पत्र दिनांक 27.10.88, प्रदर्श पी 7 विकय पत्र दिनांक 31.03.89, प्रदर्श पी 9 विकय पत्र दिनांक 23.03.89 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा भूमि के तत्कालीन खातेदारान से भूमि ख. नं. 966 को रकबा 0.81 है., ख.नं. 970 को रकबा 0.86 है. ख. नं. 956 को रकबा 0.44 है. ख. नं. 957 को रकबा 0.35 है.ख. नं. 981 को रकबा 0.29 है. ख. नं. 959 को रकबा 0.54 है. ख. नं. 958 को रकबा 0.41 है. के रूप में विधिवत कय किया गया है तथा इसी अनुसार नामान्तरण तस्दीक किये गये है एवं नामान्तरण प्रविष्टि (पी. 10, पी 11, पी 12) अनुसार बेचान के पूर्व से भूमियों का रकबा इसी अनुसार निरन्तर दर्ज अंकित रहा है। परन्तु उक्त कम में हाल राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमियों का रकबा कमी अनुसार अंकित है। जिसका कोई अधिकृत प्रमाणिक आधार प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्व होता है कि वादीगण की विभिन्न भूमियों (खसरों) में आंशिक कमी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण से कय की गई भूमि ख. नं. 790/1963 रकबा 1.15 है. के स्थान पर 2.00 है. के रूप में बढोतरी अनुसार अंकित की गई है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से 1.15 है. कय की गई भूमि के अतिरिक्त शेष 0.85 है. की अधिक अंकित भूमि के संदर्भ में कोई प्रमाणिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः तथ्यों के समग्र विवेचन तथा साक्ष्य दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारिता की भूमि ख.नं. 790/1963 का रकबा मौका तथा मानचित्र की सीमा अनुसार 1.15 है. घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती/इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण की खातेदारिता की भूमि ख. नं. 956 ता. 959, 966, 970, 981 की भूमियों के रकबों में तदनुसार संशोधन किये जाने के आदेश किये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारिता की भूमि में वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित ना करे। तदनुसारपर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
न्यायालय, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:12 IST
Reason: SelfAttested